**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1.**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**dks;yk Cykdksa dks jí djuk**

**1. Jh eksgEen vyh [kku %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us dqN dks;yk Cykdksa dk vkoaVu jí dj fn;k gS(

¼[k½ ;fn gka] rks foxr ikap o"kks± ds nkSjku vkSj bl o"kZ vc rd jkT;&okj rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj blds D;k dkj.k gSa( vkSj

¼x½ mYya?ku djus okyksa ds fo#) D;k dkjZokbZ dh xbZ gS\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) तथा (ख) : सरकार ने आबटित ब्‍लॉकों के विकास के साथ – साथ आबंटी कंपनियों द्वारा अन्‍त्‍य उपयोग संयंत्रों की अंतर – मंत्रालयी समितियों के माध्‍यम से आवधिक रूप से मानीटरिंग तथा समीक्षा की है। तत्‍कालीन समीक्षा समिति और अब अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने असंतोषजनक प्रगति की वजह से कुल 80 कोयला ब्‍लॉकों का आबंटन रद्द किया था। रद्द किए गए इन कोयला ब्‍लॉकों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य का नाम जहां कोयला ब्‍लॉक स्‍थित हैं | रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों की संख्‍या |
| 1. | आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) | 03 |
| 2. | छत्‍तीसगढ़ | 15 |
| 3. | झारखंड | 23 |
| 4. | मध्‍य प्रदेश | 07 |
| 5. | महाराष्‍ट्र | 15 |
| 6. | ओडिशा | 12 |
| 7. | पश्‍चिम बंगाल | 05 |
|  | कुल | 80 |

माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 2012 की सं. 120 तथा अन्‍य संबंधित मामलों में दिनांक 25.08.2014 के अपने अधिनिर्णय तथा दिनांक 24.09.2014 को पारित आदेश में 1993 से जांच समिति के माध्‍यम से और सरकारी वितरण के माध्‍यम से किए गए सभी कोयला आबंटनों को गैर-कानूनी घोषित किया है तथा 218 कोयला ब्‍लॉकों में से 204 कोयला ब्‍लॉकों (अर्थात भारतीय इस्‍पात प्राधिकरण लि. को आबंटित तसरा कोयला ब्‍लॉक और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को आबंटित पाकरी बरवाडिह कोयला ब्‍लाक और अट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के लिए आबंटित 12 कोयला ब्‍लॉकों को छोड़कर) के आबंटन को रद्द कर दिया है। 42 कोयला ब्‍लॉकों (37 उत्‍पादन करने वाले तथा 05 उत्‍पादन के लिए तैयार) के मामले में 31.03.2015 से रद्दीकरण प्रभावी होगा। रद्द 204 कोयला ब्‍लॉकों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे निम्‍नवत हैं :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | राज्‍य का नाम जहां कोयला ब्‍लॉक स्‍थित हैं | रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों की संख्‍या |
| 1. | आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) | 04 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 01 |
| 3. | छत्‍तीसगढ़ | 42 |
| 4. | झारखंड | 57 |
| 5. | मध्‍य प्रदेश | 22 |
| 6. | महाराष्‍ट्र | 28 |
| 7. | ओडिशा | 29 |
| 8. | पश्‍चिम बंगाल | 21 |
|  | कुल | 204 |

**(ग) :** 2006 – 09 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन के बारे में, 1993 – 2004 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन के संबंध में और सरकारी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन के संबंध में कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) ने 3 प्राथमिक जांच के मामले दर्ज किए हैं। रिट याचिका (आपराधिक) 2012 की सं. 120 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के विभिन्‍न अभिमतों को देखते हुए कोयला मंत्रालय के लिए इस संबंध में सीबीआई से कोई ब्‍यौरा प्राप्‍त करना संभव नहीं हो पाएगा।

---------